# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 2020/00029 दायरा दिनांक : 19.02.2020**

**उनवान**

1. लोकेश आयु 27 वर्ष पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट
2. प्रमिला कुमारी आयु 24 वर्ष पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासीगण बोकड़ा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

**बनाम**

1. राजेन्द्र प्रसाद आयु 66 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी बोकडा तहसील अटरू जिला बारां
2. रामस्वरूप आयु 57 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जाति जाट निवासी छोटा रावला बडोदिया मवासा कोटा जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराजसिंह चौहान एवं श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ललित नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 14.12.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या –26/2018 निर्णय दिनांक 06.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88,89,188,53 राज0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर उसके साथ धारा 212 राज0टी0एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी करने का निवेदन किया था। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.12.2019 से आंशिक रूप संशोधित फरमा दिया है । अधीनस्थ न्यायालय सर्वथा गलत विधि तथा नियमों के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलान्टस की विवादित आराजियात पैत्रिक संपत्ति है जो कि राजस्व रिकार्ड में इंतकाल नम्बर 64 दिनांक 18.02.2072 से पुश्तैनी होना पूरी तरह प्रमाणित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न करते हुए अप्रार्थी रेस्पो0 क्रम 2 के पक्ष में रहन बेचान करने से मुक्त कर दिया है। जबकि अप्रार्थी रेस्पो0 क्रम 1 को विवादित भूमि को विक्रय अथवा रहन बय करने का कोई हक प्राप्त नही था फिर भी उसे उक्त आराजी को रहन बेचान करने की छूट देकर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बनने का अनुरोध किया था। उक्त प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए प्रतिपक्षी क्रम 2 को पक्षकार बनने की अनुमति दे दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा विवादित आराजी प्रतिवादी के दर्ज खाता चली आ रही है जिसमें उक्त वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 647 रकबा 3.01 हे0 में से 1.41 हे0 पूर्व दिशा, खसरा नम्बर 648 का रकबा 0.24 हे0, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.27 हे0, खसरा नम्बर 654/864 रकबा 0.09 हे0, खसरा नम्बर 654/865 रकबा 0.07 हे0 कुल 2.08 हे0 आराजी का बेचान दिनांक 15.05.2018 को जर्ये रजि0 विक्रय पत्र के रामस्वरूप पुत्र भैरूलाल जाट निवासी छोटा रावला बडोदिया मवासा कोटा को बेचान करना बताया है। विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है जिनको प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, अप्रार्थी रेस्पो0 केवल अपने हिस्से की आराजी को ही बेचान करने का अधिकारी है लेकिन विचारण न्यायालय ने इस बिन्दू पर कतई गौर न कर कानूनी भूल की है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.02.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों का दोहराया व अपील के क्षेत्राधिकार बाबत् DNJ 2017 पेज नं. 37, RRT 2014 (1) पेज नं. 265 व RRT 2017 (2) 1258 नजीरें पेश की। पैतृक सम्पति के बाबत AIR 1974 केरल P–108, AIR 1955 पेज–55, 1988 राजस्व निर्णय P–285 नजीरें पेश की।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने 2018 C J पेज 1105 नजीर पेश कर कथन किया कि पिता के जीवन काल में पुत्र वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। यदि बच्चों का जन्म दादा की मृत्यु के बाद हुआ तो भी दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में DNJ 2016 पेज 258 नजीर प्रस्तुत की। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील में देरी से प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण नहीं दर्शाया। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

हमने अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–12–2019 विधिपूर्वक है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा